ACP Site

# कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर जयपुर

Tel: 0141-2209043 FAX - 0141-2202231 Email:-dydeojpr@gmail.com, adm2.col.jpr@rajasthan.gov.in

क्रमांकः लेखा/ निर्वा/कोटेशन/2020–21/ 1896 दिनांक 07/8/2020

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर द्वारा वितीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयकर व माल एवं सेवा कर (जीएसटी) टी.डी.एस. कटौती की मासिक व त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने, कार्मिकों के फॉर्म न. 16 जारी करने, तृतीय पक्षकारों को फॉर्म न. 16ए तथा अन्य आवश्यक फॉर्म जारी करने एवं अन्य टैक्स संबंधी कार्य सम्पादन करने हेतु I.C.A.I. से पंजीकृत लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्मों से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। (अनुमानित व्यय 40,000 रुपये)

कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र.सं. | कार्य का विवरण |
|---|---|
| 1 | वितीय वर्ष 2020–21 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सम्बन्धित समस्त मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक विवरणियां तैयार कर दाखिल करवाना व आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करवाना। |
| 2 | वितीय वर्ष 2020–21 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना, समस्त टी.डी.एस. से संबंधित विवरणियां तैयार कर दाखिल करवाना एवं आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करवाना। |
| 3 | अन्य अतिरिक्त कार्य :– compliance of notices from Income tax, Sales tax, Service tax etc. (rates with G.S.T.) |

उक्त कार्य हेतु इस कार्य में संलग्न इच्छुक दरदाता अपना कोटेशन सीलबंद लिफाफे में कैशियत चुनाव, कमरा नं. 112 में 13.08.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक संलग्न वितीय प्रस्ताव के प्रपत्र में आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें, प्रस्तुत की जाने वाली दरें समस्त व्यय सहित होगी व जीएसटी की दर अलग से अंकित की जावें।

आर.एफ.क्यू. दिनांक 13.08.2020 को दोपहर 04:00 बजे उपस्थित दर–दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

अन्य शर्तें:–

1. उक्त कार्य कम/अधिक व निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
2. उक्त कार्य फर्म द्वारा समय पर पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी। फीस का भुगतान त्रैमासिक रुप से कार्य सम्पादन होने पर किया जायेगा।
3. दरें प्रत्येक कार्यवार उपर्युक्त कम संख्या 01 से 3 अनुसार संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत की जावें।
4. फर्म द्वारा आयकर तथा माल एवं सेवा कर विभाग से प्राप्त पत्रों /नोटिसों इत्यादि के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही सकारात्मक रुप से सम्पादित करवाई जाकर निरतारण करवाया जायेगा।
5. कार्यालय से वांछित सूचना/दस्तावेज हेतु समय पर (अन्दर मियाद) अवगत करवाया जावेगा, ताकि तदनुसार चाही गई सूचना/दस्तावेज उपलब्ध करवाये जा सके।
6. फर्म के निर्धारित समय पर कार्य नहीं करने एव कार्य/व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर फर्म को भुगतान नहीं किया जावेगा और यदि भुगतान हो गया तो उसकी वसूली की जावेगी।
7. फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर ही आरटीपीपी नियमों के अंतर्गत आपसी सहमति से कार्यावधि बढ़ाई जा सकेगी।
8. यह दर RTPP ACT 2012 and RTPP Rules 2013 के नियमों के अनुसार जारी की जा रही है। अतः इस दर अनुबंध पर RTPP ACT 2012 and RTPP Rules 2013 नियमो के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
9. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।
10. बोलीदाता फर्म को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार स्वायत शासी संस्थाओं, विभागों का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।
11. फर्म के कार्य में उत्पन्न हुए सभी विवादों में निर्णय का अधिकार जिला कलक्टर, जयपुर के पास सुरक्षित होगा एवं इनके द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।
12. इस कौटेशन का अवलोकन एवं डाउनलोड एसपीपीपी पोर्टल एवं जिला कलक्टर जयपुर की वेबसाईट (jaipur.rajasthan.gov.in) पर किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी
जयपुर

क्रमांकः लेखा/ निर्वा/कोटेशन/2020–21/ 1896 दिनांक 07-8-2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ, नोटिस बोर्ड पर चस्पार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. ~~फर्म मैसर्स~~ ACP, Collectorate Jaipur
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

7/8/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी
जयपुर



d:\harsahay ji\harsahay ji.docx

# कोटेशन के लिए अनुरोध
## वित्तीय प्रस्ताव

1. फर्म का नाम ..................................................
2. पता..................................................
3. फोन नं. ..................................................
4. रजिस्ट्रेशन नं. ..................................................
5. पैन कार्ड ..................................................
6. अनुभव ..................................................

| क.सं. | विवरण | दर त्रैमासिक (रुपयों में) | जी.एस.टी. (रुपयों में) | कुल योग (रुपयों में) | 12 माह की दर (रुपयों में) (कॉलम सं. 3X4 तिमाही) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जयपुर कार्यालय के वितीय वर्ष 2020–21 के लिए माल एवं सेवा कर (G.S.T.) संबंधित समस्त मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक विवरणियां तैयार कर दाखिल करवाना व आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करवाना। | | | | |
| 2. | जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जयपुर कार्यालय के वितीय वर्ष 2020–21 के लिए आयकर विवरणियां तैयार कर दाखिल करवाना व आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करवाना। | | | | |
| 3. | अन्य अतिरिक्त कार्य:– Compliances of notices from Income tax, Sales tax, Service tax etc. | | | | |

नोट:–

1. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. ICAI से सनदी लेखाकार हेतु प्राप्त डिग्री/रजिस्ट्रेशन की प्रति

हस्ताक्षर मय सील